प्रा. पत्र संख्या 74/24
काडी वगै. बनाम सरकार
निर्णय दिनांक 28.10.24

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
74/24	28.10.24	28.10.24

बउनवान

1. काडी देवी पत्नी राजाराम निवासी बालाहेडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।
2. ममता पत्नी नमोनारायण निवासी बालाहेडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।
3. रोशनी पत्नी भागचन्द निवासी बालाहेडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।

...प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बैजूपाड़ा जिला दौसा (राज.)।

...अप्रार्थी

उपस्थित : श्री दिनेश चन्द मीना, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का खेत खसरा नंबर 1526 रकबा 0.33 हैक्टे, 1527 रकबा 0.31 हैक्टे, 1528 रकबा 0.04 हैक्टे, 1529 रकबा 0.34 हैक्टे, 1530 रकबा 0.47 हैक्टे, 1549 रकबा 0.60 हैक्टे. कुल किता 6 कुल रकबा 2.09 हैक्टे. वाके ग्राम बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित है। तहसीलदार बैजूपाडा के समक्ष प्रार्थीगण ने उक्त खसरों का सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र दिनांक 19.06.24 को प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार बैजूपाडा ने टीम गठित कर दिनांक 20.06.24 को प्रार्थीगण की उपस्थिति में मुस्तकिल बिन्दु में जरीब चलाकर सीमाज्ञान किया व निशानात लगाये । प्रार्थीगण खातेदारी भूमि की पैमाईश रिपोर्ट के आधार पर पत्थरगढी करवाना चाहते है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के अनुसार, ग्राम बालाहेडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित आराजी खसरा नंबर 1526 रकबा 0.33 हैक्टे, 1527 रकबा 0.31 हैक्टे, 1528 रकबा 0.04 हैक्टे, 1529 रकबा 0.34 हैक्टे, 1530 रकबा 0.47 हैक्टे, 1549 रकबा 0.60 हैक्टे. कुल किता 6 कुल रकबा 2.09 हैक्टे. के प्रार्थीगण दर्ज रिकार्ड खातेदार है। प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात का दिनांक 20.06.24 को तहसीलदार बैजुपाड़ा के द्वारा गठित टीम के द्वारा सीमाज्ञान किया जा चुका है। प्रार्थीगण अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इससे राजस्व अभिलेख में किसी भी पक्षकार के किसी प्रकार के हक व अधिकार तय नही होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम बालाहेडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

प्रा. पत्र संख्या 74/24
काडी वगै. बनाम सरकार
निर्णय दिनांक 28.10.24

1526,1527,1528,1529,1530,1549 कुल किता 6 कुल तादादी 2.09 हैक्टेयर भूमि के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण के उक्त खसरा नम्बरान की पत्थरगढी किये जाने के लिये भू. अ. निरीक्षक बैजूपाड़ा को 1500/- रूपये फीस पर कमिश्नर नियूक्त किया जाता है। लिखित सहमति पश्चात प्रार्थीगण की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न की जावें। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थी की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में फेरबदल नही किया जावें। प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नही किया जावें। अतः भू. अ. निरीक्षक उकरूंद मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण एवं पडौसीयान की उपस्थिति में पत्थरगढी कर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बैजूपाड़ा को पालनार्थ हेतु लिखा जावे।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)